प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
महानिदेशक
राज्य पोषण मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक – सी–510 /रा0पो0मि0/2018–19 दिनांक : 17 अक्टूबर,2018

विषय :– प्रदेश में पोषण अभियान के अंतर्गत माह अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 तक किये गये कार्यों के आधार पर अधिकारियों व कार्यकत्रियों को पुरस्कृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है प्रदेश में पोषण अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2018–19 में माह अक्टूबर, 2018 से मार्च, 2019 के मध्य किए गए कार्यों के आधार पर निम्नवत् पुरस्कार दिए जाएंगें :–

जिला कार्यकम अधिकारी	–	07
बाल विकास परियोजना अधिकारी	–	15
मुख्य सेविका	–	50
आंगनबाड़ी कार्यकत्री	–	100
ए0एन0एम0, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्री (AAA)	–	10 टीम

मूल्यांकन के मानक :–

हर अधिकारी/कर्मचारी वर्ग में पुरस्कार हेतु मूल्यांकन मानक निर्धारित किये गये हैं, जो संलग्नक 1–5 पर उपलब्ध हैं। प्रत्येक मानक को वेटेज दिया गया है जिसका योग 100 अंक है।

मूल्यांकन का आधार :–

पुरस्कार देने हेतु मानकों में सुधार का मूल्यांकन सर्वे के आधार पर किया जायेगा। **बेसलाइन पोषण माह सितम्बर, 2018 में विभाग द्वारा किया गया सर्वे होगा तथा सुधार का आंकलन अप्रैल, 2019 में विभाग द्वारा किया जाने वाला सर्वे के आधार पर किया जाएगा।**

अर्हता :–

कृत कार्यो पर प्राप्त अंकों में से जो कर्मी **मानकों के आधार पर 70% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करेगें, वही पुरस्कार हेतु अर्ह होगें।** अर्ह कर्मिकों में से अधिकतम प्राप्तांक वाले को पुरस्कृत किया जायेगा। इस हेतु राज्य स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी। प्रत्येक वर्ग में चयनित कर्मी को पूर्वनिर्धारित मानकों के सापेक्ष प्राप्त अंकों के आधार पर सम्मानित किया जायेगा।

उपरोक्त पुरस्कार हेतु जनपद द्वारा प्रविष्टियां भेजने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि आंकडों की सत्यता का सत्यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा समय से पूर्ण करा लिया हो। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडो, अनुश्रवण प्रपत्रों व अभिलेखों के आधार पर

परीक्षण किया जाएगा। जिला स्तर से जिलाधिकारी की संस्तुति भी आवश्यक होगी। जिलाधिकारी अपने स्तर से कन्वर्जेन्स विभागों से किन्ही दो अधिकारियों की समिति बनाकर आंकड़ों का सत्यापन करवा सकते हैं।

प्रदेश के उत्कृष्ठ कार्य करने वाले 05 जिलाधिकारियों को भी निम्न 03 मानकों के आधार पर सम्मानित किया जायेगा :–

1. जनपद में कुपोषण के स्तर में सार्थक कमी लाना
2. जनपद में एनीमिया के स्तर में अर्थपूर्ण(Significant) कमी लाना
3. पोषण अभियान अन्तर्गत इनोवेशन/नवीन प्रयास।

ICDS – CAS के सफल क्रियान्वयन हेतु पुरस्कार

पोषण अभियान के अन्तर्गत संपादित होने वाली गतिविधियों की पूर्णता का आंकलन करने हेतु ICDS – CAS एक महत्वपूर्ण अनुश्रवण प्रणाली है। जनवरी, 2019 तक जिन जनपदों में ICDS – CAS लागू कर दिया जाएगा, उन जनपदों में कैस डैशबोर्ड पर कम से कम 80% आंकडों की उपलब्धता व गुण्वत्ता के आधार पर निम्न पुरस्कार वितरित किये जायेगे :–

- सर्वश्रेष्ठ 3 जिला कार्यक्रम अधिकारी
- हर जनपद में सर्वश्रेष्ठ बाल विकास परियोजना अधिकारी
- हर जनपद में सर्वश्रेष्ठ 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री

अतः आपसे अनुरोध है कि समाज में पोषण स्तर के सुधार के कार्य करने वाली प्रथम पंक्ति कार्यकर्ता यथा आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं ए0एन0एम0 के साथ सांथ आई0सी0डी0एस0 के अधिकारियों के कार्य के प्रति समर्पण तथा मनोबल बढ़ाये जाने हेतु पुरस्कार योजना संलग्न विवरण/मानकों के अनुसार संचालित कराने के साथ–साथ उपरोक्त पुरस्कारों हेतु आवश्यक तैयारी आरंभ करवाते हुये सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविकाओं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सूचित कर दें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया

17/x

(मोनिका एस0 गर्ग)
महानिदेशक

पृष्ठांकन संख्या C-510(1) **एवं तद्दिनांक।**

प्रतिलिपिः समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

(मोनिका एस0 गर्ग)
महानिदेशक

पुरस्कार देने हेतु अधिकारियों व मानकों का चयन विवरण

संलग्नक–1

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी को पुरस्कार हेतु चयन के मानक

मानक	वेटेज
1. पोषण माह सितम्बर 2018 में किये गये लाभार्थी सर्वे एवं चिन्हित कुपोषित सैम व मैम[1] बच्चों की सूचना 31 अक्टूबर, 2018 तक अपलोड करना	08
2. बेसलाइन सर्वे सितंबर 2018 के आधार पर कुपोषण की दर में 10% या अधिक की कमी आई हो	15
3. जनपद जहां जनपद स्तरीय कन्वर्जेन्स एक्शन प्लान तथा सभी ब्लॉक स्तरीय कनवर्जेन्स एक्शन प्लान 31 अक्टूबर, 2018 तक तैयार हो गयें हो [2]	05
4. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिगं :–	
क. suposhanup.in पर कन्वर्जेन्स गतिविधियां प्रगति सूचना हर माह की 5 तारीख तक अपलोड *(मनरेगा कार्ड, शौचालय, जॉब कार्ड, एम0सी0पी कार्ड आदि)*	15
ख समुदाय आधरित गतिविधियो (CBE) तथा ILA प्रशिक्षण की रिपोर्टिग हर माह की 05 तारीख तक (प्रतिभागियों की संख्या सहित)– हर माह कम से कम 5 CBE	07
ग मासिक कन्वर्जेन्स बैठकों के कार्यवृत्त को suposhanup.in की वेबसाइट पर अपलोड करना	05
घ जनपद जहां चिन्हित कुपोषित बच्चों को शौचालय, राशन कार्ड व मनरेगा जॉब कार्ड दिलाने में माह मार्च 2019 तक 90% से अधिक प्रगति हो– *सूचना का सत्यापन सेक्टर स्तर पर किया जायेगा तथा बालविकास परियोजना अधिकारी द्वारा इसकी संस्तुति करते हुये इसे जिला कार्यक्रम अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जायेगा।*	08
5. सुपोषण स्वास्थ्य मेलों की रिपोर्टिंग– कुल प्रतिभागियों की संख्या, कुल लगाये गये काउन्टर की संख्या, दी गई सेवाओं का विवरण suposhan.in पर हर माह की 5 तारीख तक अपलोड करना	08
6. VHSND का सफल संचालन– कम से कम 70% गर्भवती महिलाओं[3] तथा 0–5 वर्ष तक के 70%बच्चों[4] को सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी	07
7. स्थानीय खाद्य पदार्थो का सेवन प्रोत्साहित करने के लिये किये गये प्रयास	10
8. कुपोषण में सुधार हेतु कोई नवीन प्रयास जिसका परिणाम अच्छा निकल कर आ रहा हो	10
कुल	100

[1] कुपोषित बच्चों का चिहांकन वजन व आयु के मानकों के अनुसार किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये MUAC टेप का प्रयोग करते हुये आषा द्वारा सैम (<11.5 cm से कम) व मैम बच्चों (11.5cm- 12.5 cm के मध्य) का चिन्हांकन किया जायेगा।

[2] ब्लॉक प्लान की प्रति जनपद स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिये

[3] लक्षित के सापेक्ष गर्भवती महिला की संख्या, खून व वजन की जांच की स्थिति

4 लक्षित के सापेक्ष बच्चों की संख्या जो केन्द्र तक आये, टीकाकरण व वजन की स्थिति

2. बाल विकास परियोजना अधिकारी को पुरस्कार हेतु चयन के मानक

मानक	वेटेज
1. पोषण माह सितम्बर 2018 में किये गये लाभार्थी सर्वे एवं चिन्हित सैम[1] बच्चों की सूचना 31 अक्टूबर तक अपलोड करना	15
2. बेसलाइन सर्वे सितंबर 2018 के आधार पर कुपोषण की दर में 15% अथवा अधिक की कमी आई हो	20
3. ऐसे ब्लॉक जहां सैम/मैम/गंभीर कम वजन से ग्रसित[1] कम से कम 50% चिन्हित सैम बच्चे संदर्भन पश्चात ब्लॉक इकाई पर चिकित्सीय जांच हेतु गये हों तथा कम से कम 30% को चिकित्सीय इलाज प्राप्त हुआ	15
4. परियोजना जहां ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप ने छः माह में कम से कम 12 प्रशिक्षण व समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया हो	05
5. ऐसी परियोजना जहां आई0एल0ए0 प्रशिक्षण का कार्य समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किया जा रहा हो तथा प्रतिभागिता 90% से अधिक हो	15
6. ब्लाक जहां ब्लॉक स्तरीय कन्वर्जेन्स एक्शन प्लान 31 अक्टूबर, 2018 तक तैयार हो गयें हो तथा उसकी प्रगति की मासिक समीक्षा करते हुए रिपोर्ट समय से अपलोड की गयी हो	05
7. सुपोषण स्वास्थ्य मेलों की रिपोर्टिंग– कुल प्रतिभागियों की संख्या, कुल लगाये गये काउन्टर की संख्या, दी गई सेवाएं	05
8. VHSND का सफल संचालन – कम से कम 75% गर्भवती महिला[3] तथा 0–5 वर्ष तक के 75% बच्चों[4] को सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी	05
9. स्थानीय खाद्य पदार्थो का सेवन प्रोत्साहित करने के लिये किये गये प्रयास	10
10. कुपोषण में सुधार हेतु कोई नवीन प्रयास जिसका परिणाम अच्छा निकल कर आ रहा हो	05
कुल	100

1कुपोषित बच्चों का चिहांकन वजन व आयु के मानकों के अनुसार किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये MUAC टेप का प्रयोग करते हुये आषा द्वारा सैम (<11.5 cm से कम) व मैम बच्चों (11.5cm- 12.5 cm के मध्य) का चिन्हांकन किया जायेगा।

3 लक्षित के सापेक्ष गर्भवती महिला की संख्या, खून व वजन की जांच की स्थिति

4 लक्षित के सापेक्ष बच्चों की संख्या जो केन्द्र तक आये, टीकाकरण व वजन की स्थिति

संलग्नक–3

3. मुख्य सेविका को पुरस्कार हेतु चयन के मानक

मानक	वेटेज
1 अपने सेक्टर के हर आंगनबाड़ी केन्द्र का त्रैमास में कम से कम एक बार भ्रमण[5]	15
2. अपने सेक्टर के 50% कुपोषित बच्चों के घर गृह भ्रमण *(उक्त बिन्दु 1 के अंतर्गत नीचे दिये गये विवरण के अनुसार)*	15
3. ऐसे सेक्टर जहां कम से कम 20% बच्चे कुपोषण की श्रेणी से बाहर आ गये	20
4. सेक्टर जहां पर सैम/मैम/गंभीर कम वजन[1] से ग्रसित कम से कम 65% बच्चों का सदर्भन चिकित्सा ईकाई पर किया गया और कम से कम 40% बच्चों का चिकित्सीय इलाज किया गया हो।	25
5. सुपोषण स्वास्थ्य मेलों की रिपोर्टिंग– कुल प्रतिभागियों की संख्या, कुल लगाये गये काउन्टर की संख्या, दी गई सेवाएं	15
6. VHSND का सफल संचालन – कम से कम 85% गर्भवती महिलाओं[3] तथा 0–5 वर्ष तक के 85% बच्चों[4] को सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी	10
कुल	100

1 गंभीर कुपोषित बच्चों वह होंगें जोकि वजन व आयु के मानकों के अनुसार लाल श्रेणी में आते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये MUAC टेप का प्रयोग करते हुये आशा द्वारा सैम(<11.5cm से कम) व मैम बच्चों(11.5cm-12.5 cm के मध्य) का चिन्हांकन किया जायेगा।

[3] लक्षित के सापेक्ष गर्भवती महिला की संख्या, खून व वजन की जांच की स्थिति

4 लक्षित के सापेक्ष बच्चों की संख्या जो केन्द्र तक आये, टीकाकरण व वजन की स्थिति

5 मुख्य सेविका का भ्रमण कार्यक्रम बाल विकास परियेाजना अधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा तथा प्रत्येक माह में भ्रमण पूर्ण करने के पश्चात प्रत्येक केन्द्र की निम्न रिपोर्ट मुख्य सेविका द्वारा संस्तुति हेतु प्रस्तुत की जायेगी – कार्यकर्त्री के सब्रे का सत्यापन, केन्द्रवार लक्षित लाभार्थियों की कुल संख्या, कुपोषित बच्चें के घर किये गये गृह भ्रमण की सूचना तथा केन्द्रवार कुपोषण में सुधार की स्थिति।

4. आंगनबाड़ी कार्यकत्री को पुरस्कार हेतु चयन के मानक

मानक	वेटेज
1. पुष्टाहार वितरण हेतु निर्धारित तिथियों पर 80% से अधिक लाभार्थियों की आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थिति	25
2. ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जहां प्रत्येक माह कम से कम 80% बच्चों का वजन किया गया हो	20
3. ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जहां कार्यकत्री ने गृह भ्रमण व सामुदायिक बैठकों का प्रयोग करते हुये ग्राम अपने गांव में कुपोषण की दरों में 25% से अधिक की कमी लाई[6] (कम से कम 07 बच्चे)	20
4. ऐसे केन्द्र जहां स्कूल ना जाने वाली 90% किशोरियो को पिछले छः माह में आंगनबाडी केन्द्र से नीली आयरन की गोली का सेवन हर सप्ताह करवाया गया हो। स्कूल ना जाने वाली किशोरी को माह में 6 दिवसो यथा 5,8,15,20,25,30 में से किसी 4 दिवस पर केन्द्र पर बुलाते हुये आयरन की गोली खिलाना। *(दैनिक डायरी में विवरण दर्ज)*	15
5. प्रत्येक कुपोषित बच्चे के घर माह में एक बार अनिवार्य भ्रमण *(दैनिक डायरी में उल्लिखित)*	15
6. ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जहां पिछले 6 माह में अनुपूरक पोषाहार का प्रयोग कर कम से कम चार बार स्तनपान तथा ऊपरी आहार सबंधी डिमान्स्ट्रेशन बचपन/ममता दिवस के दौरान आयोजित किया गया हो	03
7. ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जहां पिछले 6 माह में 30 या इससे अधिक सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया गया हो	02
कुल	100

[6] कुल कुपोषित बच्चों का 25 प्रतिशत। सामान्यतः प्रत्येक 1000 की आबादी में 0–5 वर्ष के 30–40 बच्चे कुपोषित होगे यानि कि लाल व पीली श्रेणी में। यदि इनमें से 8–10 बच्चों के पोषण की श्रेणी में सुधार आता है तो उसे सही दिशा में किया जाने वाला प्रयास माना जायेगा।

5. ए0एन0एम0, आषा व आंगनबाड़ी कार्यकत्री (AAA) को पुरस्कार देने हेतु चयन के मानक

मानक	वेटेज
1. ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जहां, प्रत्येक माह कम से कम 80% बच्चों का वजन किया गया हो	08
2. सभी हाई रिस्क गर्भवती व अति कुपोषित/सैम व मैम बच्चों की पहचान, स्वास्थ्य जांच व ब्लॉक स्तरीय संदर्भन की शत प्रतिशत रिर्पोर्टिंग *(VHSND के दिन ए0एन0एम0 व आषा द्वारा आं0 कार्यकत्री को दी जाने वाली सूचना)*	10
3. कम से कम 70% सैम बच्चों को ब्लॉक चिकित्सा इकाई परं सन्दर्भन तथा कम से कम 50% का चिकित्सीय इलाज *(VHSND के दिन ए0एन0एम0 द्वारा आं0 कार्यकत्री को दी जाने वाली सूचना)*	20
4. ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जहां कार्यकत्री ने गृह भ्रमण व सामुदायिक बैठकों का प्रयोग करते हुये ग्राम अपने गांव में कुपोषण की दरों में 25% से अधिक की कमी लाई[6] (कम से कम 07 बच्चे)	15
5. ऐसे केन्द्र जहां स्कूल ना जाने वाली 90% किशोरियो को पिछले छः माह में आंगनबाडी केन्द्र से नीली आयरन की गोली का सेवन हर सप्ताह करवाया गया हो। स्कूल ना जाने वाली किशोरी को माह में 6 दिवसो यथा 5,8,15,20,25,30 में से किसी 4 दिवस पर केन्द्र पर बुलाते हुये आयरन की गोली खिलाना। *(दैनिक डायरी में विवरण दर्ज)*	15
6. चयनित गांव में सभी 5 वर्ष तक के पात्र बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण व आयरन सीरप से आच्छादन *(VHND के दिन ए0एन0एम0 द्वारा आं0 कार्यकत्री को दी जाने वाली सूचना)*	10
7. प्रत्येक माह AAA द्वारा कम से कम एक संयुक्त बैठक का आयोजन समुदाय स्तर पर *(आं0 कार्यकत्री द्वारा सूचना)*	05
8. सुपोषण स्वास्थ्य मेलों की रिपोर्टिंग– कुल प्रतिभागियों की संख्या, कुल लगाये गये काउन्टर की संख्या, दी गई सेवाओं का विवरण	05
9 VHSND का सफल संचालन – कम से कम 90% गर्भवती महिलाओं[3] तथा 0–5 वर्ष तक के 90% बच्चों[4] को सेवाएं/सुविधाए उपलब्ध कराई गयी *(आं0 कार्यकत्री द्वारा सूचना)*	12
कुल	100

3 लक्षित के सापेक्ष गर्भवती महिला की संख्या, खून व वजन की जांच की स्थिति

4 लक्षित के सापेक्ष बच्चों की संख्या जो केन्द्र तक आये, टीकाकरण व वजन की स्थिति

6 कुल कुपोषित बच्चों का 25 प्रतिशत। सामान्यतः प्रत्येक 1000 की आबादी में 0–5 वर्ष के 30–40 बच्चे कुपोषित होगे यानि कि लाल व पीली श्रेणी में। यदि इनमें से 8–10 बच्चों के पोषण की श्रेणी में सुधार आता है तो उसे सही दिशा में किया जाने वाला प्रयास माना जायेगा।